UPAU010008662026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 74/2026

लक्ष्मी नरायन प्रति आदर्श सक्सेना आदि।

दिनांक 20.04.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी लक्ष्मी नरायन द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विगत तिथि पर सुना गया। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

2. प्रार्थी लक्ष्मी नरायन ने संक्षेप में अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि प्रार्थी लक्ष्मीनारायन पुत्र स्व० सुखलाल दोहरे निवासी ग्राम गोहना थाना व जनपद औरैया का रहने वाला है। प्रार्थी अमरदीप होटल के पास हाइवे पर किराये की दुकान में ई रिक्शा की एजेन्सी चलाता है तथा प्रार्थी की दुकान पर एक व्यक्ति आदर्श सक्सेना का कुछ समय से आना जाना रहता था तभी एक दिन आदर्श सक्सेना मुझ प्रार्थी से कहने लगा कि मेरी मण्डी में आढ़त है तथा फर्म भी आदर्श ट्रेडर्स नाम से रजिस्टर्ड है लेकिन घर परिवार में पैसे की दिक्कत हो जाने से काम बन्द चल रहा है अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था हो मेरे साथ काम शुरु कर दो जो बचत होगी उसमें आपका भी आधा हिस्सा रहेगा। प्रार्थी आदर्श सक्सेना की बातों में आ गया और काम करना शुरु कर दिया और विपक्षी आदर्श सक्सेना को दिनांक 29.09.2025 को 28000/– रुपये दे दिये तथा दिनांक 30.09.2025 को 32,000/– (बत्तीस हजार रुपया), 02.10.2025 को 40,000, 03.10.2025 को 20,000, 04.10.2025 को 20,000, 06.10.2025 को 45,000, 11.10.2025 को 70,000, 14.10.2025 को 50,000/– रुपये नगद तथा अपने भाई सूबेदार सिंह के माध्यम से दिनांक 16.10.2025 को एक लाख रुपये गूगलपे व 50 हजार रुपये नगद व 18,10,2025–को एक लाख रुपये जरिये गूगलपे व 50 हजार रुपये नगद विपक्षी आदर्श सक्सेना को दिये। उक्त लेन देन के सम्बंध में विपक्षी द्वारा स्वयं अपने हाथों से रिकार्ड के तौर पर मुझ प्रार्थी की कापी में समस्त इण्ट्री भी की गयी और इसी बीच कभी कभार कुछ रुपये उक्त आदर्श सक्सेना मुझ प्रार्थी का विपक्षी के पास करीब 6,05,000 रुपये पहुंच चुका था। तभी प्रार्थी को लोगों द्वारा जानकारी हुई थी कि उक्त आदर्श सक्सेना आये दिन किसी न किस के साथ धोखेबाजी करता रहता है अब मुझ प्रार्थी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है मेरे जो रुपये हुए तुम्हारे पास है वो मुझे वापस कर दो तभी विपक्षी रुपये देने को लेकर टाला–मटोली करने लगा तथा दिनांक 30.09.2025 से 08.10.2025 तक नगद व ऑनलाइन 84400+ 22000 रुपये वापस किये तथा प्रार्थी ने जब बकाया क रुपये का हिसाब करने को कहा तो विपक्षी द्वारा लगातार आना–कानी की जाती रही और दोबारा कोई न कोई बहाना बनाकर तारीख पर तारीख दी जाती रही लेकिन न ही रुपया दिया जा रहा था और न ही निश्चित समय दिया जा रहा था। प्रार्थी ने विपक्षी के खिलाफ थाना औरैया में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, प्रार्थी ने दिनांक 14.01.2026 को प्रार्थना पत्र दिया ,जिसके तहत सम्बंधित थाने की पुलिस ने मुझ पक्षकारान का एक समझौता लिखाया, जिसमें प्रार्थी के करीब पूरा हिसाब हो जाने पर 3,23,600/– रुपये विपक्षी द्वारा वापस करने की सहमति जतायी गयी परन्तु 1,75,000/ रुपये मक्का खरीदने के लिए प्रार्थी से लिया गया, जिसका विपक्षी

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.04.20 16:45:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगातार देने से इंकार करता रहा। तब प्रार्थी ने सम्बंधित थाना पुलिस की मौजूदगी में 3,23.600/ रुपये में समझौता पर राजी हो गया तथा समझौतानामा में तय तारीख के अनुसार विपक्षी द्वारा जब रुपया नहीं दिया गया। तब प्रार्थी 26.01.2026 को समय करीब 1.00 बजे दिन में अपने रुपये मांगने गया तो आदर्श सक्सेना ने रुपये देने से मना कर दिया तथा उक्त आदर्श सक्सेना व उसके पिता संजीव सक्सेना मारपीट पर आमादा हो गये और जाति सूचक गाली साले चमरा कहकर अपमानित किया। प्रार्थी मौके से चला आया। दिनांक 09.02.2026 समय करीब शाम 6.00 बजे विपक्षी आदर्श सक्सेना व उसके पिता संजीव सक्सेना व उसका मित्र रोहित सेंगर मेरी दुकान पर आये और मुझ प्रार्थी से कहने लगे तेरी उस दिन इतनी हिम्मत हो गयी थी कि मेरे घर पर मुहल्ले वालों के सामने रुपये मांगने चले आये तभी विपक्षी आदर्श सक्सेना ने मुझ प्रार्थी के ऊपर हाथ उठा दिया तथा संजीव सक्सेना व रोहित सेंगर जाति सूचक गाली देकर साले चमरा कहकर मारपीट करने लगे तभी वहाँ मौजूद बीरेन्द्र कुमार व विमल मौके पर आये, जिन्होने बीच बचाव किया। तभी विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर कहने लगे कि आज तो तुम्हें छोड़ दिया, अगली बार कभी रुपये की बात चलायी या कोई मेरे खिलाफ शिकायत की तो तुम्हें जान से मरवा देगें और प्रार्थी को विपक्षी द्वारा माँ बहिन की गंदी गंदी गालियों दी गयी। विपक्षी द्वारा कपटपूर्ण आशय से धोखाधड़ी करके करीब 4,98,600/– रुपये हड़प लिये गये तथा विपक्षी लगातार झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी देता रहा। प्रार्थी को विपक्षी से जान का खतरा है। प्रार्थी बहुत ही भयभीत व परेशान है। प्रार्थी ने इस सम्बंध में थाना औरैया में प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया को रजिस्टर्ड डाक से व स्वयं प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थी ने घटना के दौरान आयी चोटों का डाक्टरी परीक्षण जिला चिकित्सालय सौ सैया अस्पताल चिचौली में कराया तथा प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, तत्संबंधी डाक रसीद, चोट प्रपत्र, थाना कोतवाली में दी गई तहरीर की फोटोप्रति, पुलिस अधीक्षक, औरैया को पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, आई.जी.आर.एस. की रसीद, सुलहनामा व ऑनलाईन लेनदेन की रसीद संलग्न की हैं।

3. उपरोक्त के संबंध में संबंधित थाना से यह आख्या प्राप्त हुई कि संबंधित घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4. प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारी, नगर औरैया को जाँच अधिकारी नियुक्त कर प्रारंभिक जाँच आख्या आहूत की गई, जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई कि प्रश्नगत प्रकरण की जाँच के मध्य सम्बन्धित से पूछताछ कर अंकित किये गये कथनों एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखीय अवलोकन आदि से पाया गया कि आवेदक श्री लक्ष्मीनारायन पुत्र सुखलाल दोहरे निवासी ग्राम गोहना थाना कोतवाली जनपद औरैया व विपक्षी आदर्श सक्सेना पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम सुरान थाना कोतवाली जनपद औरैया पूर्व से ही एक दूसरे से परिचित थे, विपक्षी आदर्श सक्सेना गल्ला मण्डी में आढत का काम करता है। दोनों पक्षों के मध्य अनाज व्यापार साथ में करने सम्बन्ध में आपसी मौखिक बातचीत हुई। आवेदक के अनुसार उनके द्वारा विपक्षी आदर्श सक्सेना को दिनांक 29.09.2025 को नकद 28000/– रुपये दिये, इसी प्रकार क्रमशः दिनांक 30.09.2025 को 32000/– रुपये, दिनांक 02.10.2025 को 40000/– रुपये, दिनांक 03.10.2025 को 20000/– रुपये, दिनांक 04.10.2025 को 20000/–रुपये, दिनांक 06.10.2025 को 45000/– रुपये, दिनांक 11.10.2025 को 70000/– रुपये व दिनांक 14.10.2025 को 50000/– रुपये नकद दिये थे, इसके अतिरिक्त दिनांक 16.10.2025 को एक लाख रुपये व दिनांक 18.10.2025 को एक लाख रुपये, यू०पी०आई० के जरिए खाता में ट्रान्सफर किये गये थे। इस प्रकार द्वारा आदर्श सक्सेना उपरोक्त को कुल 05 लाख 05 हजार रुपये दिये गये है। विपक्षी द्वारा विभिन्न तिथियों में दिनांक 30.09.2025 को 16100/– रुपये, दिनांक 01.10.2025 को 20000/– रुपये, दिनांक 03.10.2025 को 13300/– रुपये, दिनांक 04.10.2025 को 35000/– रुपये व दिनांक 08.10.2025 को 22000/– रुपये (ऑनलाइन) रुपये वापस किये

गये हैं। जबकि विपक्षी का कहना है कि उसके द्वारा लक्ष्मीनारायण निवासी गोहना थाना कोतवाली औरैया को 300 कुन्टल मक्का 1750 रुपये प्रति कुन्तल की दर से बेची थी, बेची हुई मक्का की कुल रकम 525000/– रुपये हुई थी, जिसमें से विपक्षी द्वारा अपने किसी परिचित के माध्यम से 100000/– रुपये दिनांक 16.10.2025 को व दिनांक 18.10.2025 को 100000/– रुपये प्रार्थी के खाता में ट्रान्सफर कराये थे, जिसके बाद शेष बकाया धनराशि 325000/– रुपये अदा नहीं की गयी, किन्तु विपक्षी द्वारा आवेदक को 300 कुन्तल धान बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे विपक्षी के तथ्यों की पुष्टि नही हो रही है। जबकि आवेदक द्वारा विपक्षी आदर्श सक्सेना को नकद रुपये दिये गये है, जो आवेदक के रजिस्टर में अंकित है एवं आवेदक के हस्तलेख में है, जिसकी पुष्टि विपक्षी आदर्श सक्सेना द्वारा स्वयं अपने कथनों में प्रश्नोत्तर के दौरान की गयी है, रजिस्टर की छायाप्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। इसी प्रकार दिनांक 18.01.2026 को विपक्षी आदर्श कुमार सक्सेना द्वारा दी गयी तहरीर में 323600/– रुपये लक्ष्मीनारायन को देना है, जिसमें यह तय हुआ है कि एक लाख 23 हजार रुपये दिनांक 22.01.2026 को विपक्षी के खाता में जमा करूंगा, और दो लाख रुपये में से पहली किस्त 25 मार्च तथा दूसरी किस्त 31 अगस्त तक दिये जाने आदि तथ्य अंकित किये गये, जिसका छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। तत्पश्चात विपक्षी आदर्श कुमार सक्सेना द्वारा आवेदक के विरुद्ध न्यायालय औरेया में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. योजित कर दिया गया, जिसका जानकारी होने पर आवेदक द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 26.01.2026 व दिनांक 09.02.2026 को द्वारा जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप अंकित कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों पक्ष एक–दूसरे के विरुद्ध गाली गलौज कर मारपीट करने आदि आरोप लगाये जा रहे है। अब तक की जाँच से दोनों पक्ष के मध्य व्यापारिक तौर पर रुपये का लेन–देन होना पाया जा रहा है, जिसमें आवेदक का विपक्षी पर रुपया शेष है, विपक्षी द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से आवेदक को रुपया वापस करने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु विपक्षी द्वारा इसका अनुपालन न करते हुए आवेदक को वापस नहीं किया गया है। इसी को लेकर दोनों पक्ष के मध्य आपसी मतभेद चल रहे है तथा दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध कतिपय आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। व्यापारिक लेन–देन को लेकर दोनों पक्ष के मध्य व्याप्त कसीदगी को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 10.02.2026 को घारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही दोनों पक्ष के विरुद्ध की जा चुकी है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में अन्य लगाये गये आरोपों की साक्ष्य के अभाव में प्रथम दृष्टया जाँच से पुष्टि नहीं हो रही है।

5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्नित प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद रुपये के लेनदेन का है, इस तथ्य की पुष्टि क्षेत्राधिकारी, औरैया की प्रारंभिक जाँच आख्या से भी होती है। आवेदक द्वारा विपक्षी संख्या–01 से रुपयों के लेनदेन के संबंध में पुष्टिकारक ऑनलाईन लेनदेन रसीद व अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र वर्णित मारपीट आदि की घटना के समर्थन में चिकित्सीय प्रपत्र भी दाखिल किया गया है। साथ ही कथित घटना के समय बीच–बचाव करने आये साक्षीगण के नामों का भी उल्लेख किया है।

6. श्नगत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय का मत है कि प्रश्नगत मामले में न्यायालय स्वयं जांच कर कार्यवाही कर सकता है तथा कथित घटना के सम्बन्ध में जो भी साक्ष्य है, वह प्रार्थी/आवेदक के संज्ञान में है तथा वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्नगत मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करके न्यायालय द्वारा स्वयं जाँच किया जाना उचित है। माननीय उच्च न्यायालय की दो सदस्य पीठ द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007(6) ए0एल0जे0 पेज 424 (डिवीजन बैंच)** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि इस प्रकृति के प्रार्थना पत्रों पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत करते हुये उसके संबंध में परिवाद केस की प्रक्रिया अपनाते हुये अग्रिम कार्यवाही किया जाना

न्यायोचित एवं विधि संगत होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी लक्ष्मी नरायण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली धारा 223 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत परिवादी के साक्ष्य हेतु दिनांक 26.05.2026 को पेश हो।

दिनांक 20.04.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393